न्यायालय जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी—देवेन्द्र कुमार

आई०ए०एस०

प्रा0पत्र सं0 07/2024 धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

राजस्थान सरकार जरिये श्रीमती सूरज बाई मीना, प्रवर्तन अधिकारी दौसा

..प्रार्थी

बनाम

श्री यशवंत शर्मा पुत्र राजेन्द्र शर्मा निवासी लालसोट रोड, दौसा (रघु मिष्ठान भंडार)

..अप्रार्थी

उपस्थितः 1. श्रीमती सूरज बाई मीना, प्रवर्तन अधिकारी, विभागीय पैरोकार सरकार

2. अप्रार्थी यशवंत शर्मा स्वयं।

जब्तशुदा 07 घरेलू एल0पी0जी0 गैस सिलेण्डरों मय एल.पी.जी. 72.4 किलोग्राम आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात कर निस्तारण करने बाबत।

<u>निर्णय</u> दिनांकः 30.7.2025

1. संक्षिप्त विवरण प्रा0 पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम—1955 इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी मय प्रर्वतन दस्ते के द्वारा फर्म रघु मिष्ठान भंडार, लालसोट रोड, दौसा के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान श्री यशवंत शर्मा द्वारा घरेलू एल0पी0जी0 गैस के दुरूपयोग करने पर मौके पर पाये गये कुल 07 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 72.4 किलोग्राम एल0पी0जी0 को जब्त सरकार कर राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रा0 पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम—1955 दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी की तलबी की गई। जिला रसद अधिकारी दौसा का मूल अभिलेख प्राप्त किया गया।
3. विभागीय पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि खाध विभाग के पत्र दिनांक 10.9.2024, 19.9.2024, 7.10.2024 द्वारा दिनांक 17.9.2024 से दिनांक 27.9.2024 तक की निरन्तरता में संपूर्ण जिले में घरेलू एल.पी.जी. सिलेण्डरों के दुरूपयोग/अवैध गैस रिफलिंग विशेष अभियान के तहत गठित जांच दल द्वारा दिनांक 20.9.2024 को जिला रसद अधिकारी दौसा के नेतृत्व में रघु मिष्ठान भंडार लालसोट रोड दौसा का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। प्रवर्तन स्टाफ के द्वारा जांच करने पर पाया कि रघु मिष्ठान भंडार के रसोई घर में जांच करने पर घरेलू सिलेण्डरों का व्यावसायिक दुरूपयोग करना पाया गया। वक्त निरीक्षण में श्री यशवंत शर्मा पुत्र श्री राजेन्द्र शर्मा रघु मिष्ठान भंडार लालसोट रोड दौसा को मालिक का छोटा भाई बताया गया। मौके पर स्टाफ व गवाहों के समक्ष जांच करने पर 07 सिलेण्डर घरेलू गैस के पाये गये। उक्त मे से 4 सिलेण्डर रसोई गैस में रखे हुए पाये गये एवं तीन गैस सिलेण्डर पाईप लाईन चूल्हे से जुडे पाये गये। इस प्रकार रघु मिष्ठान भंडार लालसोट रोड दौसा के मैनेजर यशवंत शर्मा द्वारा व्यावसायिक प्रतिष्ठान में घरेलू एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का अवैध व्यावसायिक कार्यो में उपयोग कर दुरूपयोग किया जाना प्रथम दृष्ट्या पाया गया। मौके पर सदाशिव गैस ऐजेन्सी दौसा के कार्मिक श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा पुत्र श्री पांचूराम शर्मा निवासी उदाला बासडी रामपुरा दौसा को बुलाकर हैंगिग मशीन से तोलने की कार्यवाही की गई। मौके पर प्राप्त सिलेण्डरों का विवरण निम्नानुसार हैः—

कसं	सिलेण्डर श्रेणी	नाम गैस कंपनी	सी[illegible]	[illegible] (किलोग्राम में)	[illegible] वजन (किलोग्राम में)	शुद्ध गैस का वजन (किलोग्राम में)
1	घरेलू	बीपीसीएल	109398 एस	29.0	15.7	[illegible]
2	घरेलू	बीपीसीएल	107678 एस	23.8	15.9	7.9
3	घरेलू	बीपीसीएल	102878 एस	19.9	15.7	14.2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:03:16 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

4	घरेलू	बीपीसीएल	172016 पी	15.5	15.4	8.4
5	घरेलू	बीपीसीएल	546279 जे	24.2	15.08	8.4
6	घरेलू	बीपीसीएल	233425 एस	30.0	16.6	14.4
7	घरेलू	बीपीसीएल	190124 पी	29.3	15.1	14.2
	कुल गैस					72.4

इस प्रकार मौके पर पाये गये उक्त 07 घरेलू सिलेण्डरों एवं उनमें भंडारित 72.4 किलोग्राम एल.पी.जी. गैस, को जब्त कर कब्जे राज लिया गया। उक्त जब्त गैस सिलेण्डरों मय एल.पी.जी.व अन्य सामग्री को सुरक्षा की दृष्टि से सदाशिव गैस ऐजेन्सी दौसा के कार्मिक श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा पुत्र श्री पांचूराम शर्मा निवासी उदाला बासडी रामपुरा दौसा को सुपुर्दगी में दिये गये। इस प्रकार रघु मिष्ठान भंडार लालसोट रोड दौसा के मैनेजर यशवंत शर्मा पुत्र राजेन्द्र शर्मा निवासी लालसोट रोड दौसा द्वारा उक्तानुसार द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण) आदेश 2000 के खंड 3, 4 व 7 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा 07 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय एलपीजी 72.4 किलोग्राम को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात कर निस्तारण करने के आदेश प्रदान करावें।

4. दौराने बहस अप्रार्थी यथवंत शर्मा पुत्र श्री राजेन्द्र शर्मा ने जब्तशुदा सिलेण्डरों व एल0पी0जी0 गैस को राजसात किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर करते हुए अप्रार्थी के विरूद्ध दर्ज उक्त प्रकरण का निस्तारण फरमाने हेतु निवेदन किया।

5. हमने विभागीय पैरोकार सरकार एवं अप्रार्थी के कथनों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि घरेलू एल.पी.जी. सिलेण्डरों के दुरूपयोग/अवैध गैस रिफलिंग विशेष अभियान के तहत गठित जांच दल द्वारा दिनांक 20-9-2024 को जिला रसद अधिकारी दौसा के नेतृत्व में रघु मिष्ठान भंडार लालसोट रोड दौसा का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। प्रवर्तन स्टाफ के द्वारा रघु मिष्ठान भंडार के रसोई घर में जांच करने पर घरेलू सिलेण्डरों का व्यावसायिक दुरूपयोग करना पाया गया। वक्त निरीक्षण में श्री यशवंत शर्मा पुत्र श्री राजेन्द्र शर्मा रघु मिष्ठान भंडार लालसोट रोड दौसा को मालिक का छोटा भाई बताया गया। मौके पर स्टाफ व गवाहों के समक्ष जांच करने पर 07 सिलेण्डर घरेलू गैस के पाये गये। उक्त मे से 4 सिलेण्डर रसोई गैस में रखे हुए पाये गये एवं तीन गैस सिलेण्डर पाईप लाईन चूल्हे से जुडे पाये गये। मौके पर स्टाफ व गवाहों के समक्ष जांच करने पर 07 घरेलू गैस सिलेण्डरों का दुरूपयोग करना पाया गया। इस प्रकार श्री यशवंत शर्मा द्वारा एल0पी0जी0 आदेश 2000 के उपबन्धों का उल्लंघन किया गया है। अप्रार्थी श्री यशवंत शर्मा ने मौके पर कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया। हाल ही में भांकरोटा की गैस त्रासदी जैसी दुखद घटना भी हुई है। इस प्रकार का उक्त कृत्य **L.P.G. (Regulation of supply and distribution) order,** 2000 के खंड 3, 4, 5, 6, 7 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। हम प्रार्थना पत्र 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाने योग्य समझते है।

6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त वर्णित जब्त शुदा 07 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय एलपीजी 72.4 किलोग्राम को राजसात **(Confiscate)** किया जाता है। जिला रसद अधिकारी दौसा को निर्णय की प्रति प्रेषित कर निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि जब्त माल का नियमानुसार निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:03:16 IST
Reason: SelfAttested

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय आज दिनांकः 30 जुलाई, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:03:16 IST
Reason: SelfAttested